न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 215/2015

1 जगदीश सिंह पुत्र प्रहलाद सिंह।
2 गुलाब सिंह पुत्र प्रहलाद सिंह।
3 प्रवीण सिंह पुत्र प्रहलाद सिंह।
4 गुलाब कंवर पत्नी प्रहलाद सिंह समस्त जाति राजपूत निवासीगण दूजोद तहसील धोद जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 भंवरसिंह पुत्र हिम्मत सिंह।
2 भागीरथ सिंह पुत्र हिम्मत सिंह।
3 मूलसिंह पुत्र बालसिंह।
4 महेन्द्र सिंह पुत्र हिम्मत सिंह समस्त जाति राजपूत निवासीगण दूजोद तहसील धोद जिला सीकर।
5 उप पंजियक धोद तहसील धोद जिला सीकर।
6 तहसीलदार धोद तहसील धोद जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्व निर्णय उपखण्ड अधिकारी धोद मुकदमा नम्बर 2015 उनवानी दावा भंवर सिंह बनाम जगदीश सिंह निर्णय व डिक्री दिनांक 01.09.2015 को जो प्राथमिक डिक्री जारी की गई है जिसके विरूद्व अपील

भू-प्रबन्ध अधिकारी
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थिति :

1. श्री बजरंग सिंह शेखावत, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री महेन्द्र पारीक, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 15.02.2021

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद द्वारा मुकदमा नम्बर 2015 में पारित निर्णय दिनांक 01.09.2015 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में रेस्पोडेंट संख्या 1 से 3 ने ग्राम दुजोद तहसील धोद जिला सीकर की भूमि खसरा नम्बर 792,793,794,795 बाबत बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने दिनांक 01.09.2015 को बाद सुनवाई प्राथमिक डिक्री जारी कर दी। जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद में निश्चित पेशी दिनांक 20.03.2015ा को अपीलांट की ओर से उसके वकील उपस्थित हुये तत्पश्चात प्रस्तुत वाद में जवाब दावा पेश करने शेष प्रतिवादीगण की तामील करवाने बाबत आदेशित किया जाकर आगामी तारीख पेशी दिनांक 12.05.2015 मुर्कर की गई। निश्चित पेशी दिनांक 01.09.2015 को पीठासीन अधिकारी से अपीलांट के वकील ने जवाब दावा प्रस्तुत करने बाबत अवसर चाहा जिस पर अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के वकील को जवाब दावा पेश करने एवं रेस्पोडेंट संख्या लगायत 3 के वकील को शेष प्रतिवादीगण की तामील प्रस्तुत करने बाबत आदेशित किया जाकर आगामी पेशी दिनांक 09.09.2015 मुर्कर कर दी गई। अधिनस्थ

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद विभाजन के सम्बंध में था। जिसमे सभी पक्षकारान की नियमानुसार तामील होना आवश्यक थी एवं विवाद होने की स्थिति में मुख्य रूप से जवाब दावा रिकार्ड पर लिया जाकर जवाब दावा व वाद के कथनो के अनुसार तनकीयात कायम करके बाद साक्ष्य पक्षकारान की ली जाकर उसके बाद अधिनस्थ न्यायालय को निर्णय करना था। परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने न तो सभी पक्षकारान की तामील करवाई ना ही अपीलांट का जवाब दावा रिकार्ड पर लिया गया ना ही अपीलांट की सहमती प्राप्त की गई एव ना ही उनके अधिवक्ता की सहमती ली गई ना ही पक्षकारान की सहमती प्राप्त की गई एव ना ही भूमि धारक की सहमती ली गई। ऐसी स्थिति में बिना जवाब दावा रिकार्ड पर लिये बिना अपीलांट की सहमती प्राप्त किये एवं बिना पक्षकारान की नियमानुसार तामील करवाये बगैर एवं ना ही भूमिधारक की सहमती के अभाव में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री जारी कर दी गई। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत विभाजन वाद में मुख्य रूप से विवाद भूमि खसरा नम्बर 792,793,794,795 के सम्बंध में था जिसके खातेदार अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 4 है परन्तु रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 3 ने जो वाद विभाजन का पेश किया था जिसमें खसरा नम्बर 794,795 का विभाजन वाद पेश किया जब कि वाद चारो खसरा नम्बर के सम्बंध में पेश होना चाहिए था। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद अपूर्ण प्रस्तुत होने के कारण जो वाद खारिज होना चाहिए था। अत अपील स्वीकार कर प्रकरण रिमाण्ड किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में रेस्पोडेंट द्वारा विभाजन का वाद प्रस्तुत किया गया था। किसी प्रकार की घोषणा नही चाही गई थी। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने द्वारा विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की गई है। विचारण न्यायालय में प्राथमिक डिक्री से पूर्व उभयपक्ष को सुने जाने का अंकन आदेशिका में किया गया है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपीलांट को विभाजन से कोई

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

ऐतराज है तो विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर विचारण न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है। अपील सारहीन है खारिज की जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद दिनांक 23.02.2015 को प्रस्तुत किया गया है। दिनांक 20.03.2015 को पत्रावली वास्ते इन्तजार तलबी व जवाब हेतु 12.05.2015 को नियत की गई है। इसके उपरान्त दिनांक 12.05.2015,02.07.2015,20.08.2015 एवं 24.08.2015 को सील लगाकर तारिख दी गई है। दिनांक 01.09.2015 को विचाराधीन प्राथमिक डिक्री जारी कर दी गई है। विचारण न्यायालय की इस आदेशिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में पक्षकारो की तलबी पूर्ण किये बिना, अपीलांट को जवाब देही व सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना विचाराधीन प्राथमिक डिक्री जारी की गई है। ऐसी स्थिति में विचाराधीन निर्णय व डिक्री को विधि सम्मत नही माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जाता है एंव प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर विधिक प्रक्रिया की पालना कर प्रकरण में गुणावगुण पर पुन विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 31.03.2021 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 15.02.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर